निर्णय बइजलास शुभम चौधरी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 27/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन) **जीसीएमएस नं0 2025/106**

एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड जयपुर ....**प्रार्थी**

1. श्री धर्मसिंह गुर्जर पुत्र गणेश गुर्जर पता– धनोली सवाई माधोपुर 322027 अन्य पता– सम्पत्ति स्थित खसरा न0 1365 पट्टा न. 87 गुर्जर मोहल्ला, बालाजी मन्दिर, गाव धनोली, ग्राम पंचायत मेनपुरा जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमती तुलसी देवी निवासी मकान नं 152 धनोली जिला सवाई माधोपुर 322027

........**अप्रार्थी/ऋणी**

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2002

–:: आदेश ::–

1. संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.10.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री धर्मसिंह गुर्जर पुत्र गणेश गुर्जर पता– धनोली सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा सं. 87 ग्राम पंचायत मैनपुरा पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर मे स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व मे आम रास्ता, पश्चिम में सार्वजनिक नाला, उत्तर मे गिर्राज पुत्र रूगनाथ व दक्षिण मे छोटू पुत्र जगन्नाथ गुर्जर है, जिसका क्षेत्रफल 80 वर्ग गज है, को बधक रखकर 7,13,000/– (सात लाख तेरह हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभॉति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 16.01.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नही किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैक के पक्ष मे बधक सम्पत्ति पट्टा सं. 87 ग्राम पंचायत मैनपुरा पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम मे सार्वजनिक नाला, उत्तर में गिर्राज पुत्र रूगनाथ व दक्षिण में छोटू पुत्र जगन्नाथ गुर्जर है, जिसका क्षेत्रफल 80 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 27.5.25 को सुनाया गया।

(शुभम चौधरी)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:13:51 IST
Reason: SelfAttested